International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 12 Issue 9 || September 2023 || PP. 253-256

मुस्लिम महिलाओं की विवाह संबंधी धार्मिक अधिकारो का उनकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रभाव

शबाना अंजुम
शोध छात्रा, इतिहास विभाग, पूर्णिया विष्वविद्यालय पूर्णिया, बिहार

सार

समाज में महिला की स्थिति के आधार पर समाज के विकास को रेखांकित किया जा सकता है। विश्व की सम्पूर्ण जनसँख्या में महिलाओं की आधी भागीदारी है। फिर भी, महिलाओं को समाज में निम्न स्थान दिया जाता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर अनेक परिवर्तन हुए है और समाज में उनकी स्थिति का मूल्यांकन विभिन्न आधार पर हुआ है जैसे षिक्षा, आर्थिक संसाधनो पर नियन्त्रण, श्रम–भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग व स्वतंत्रता, लैंगिक–भेदभाव का न होना, धार्मिक रूढियों एवम् कुप्रथाओं की अनुपस्थिति, परिवार में स्थान आदि। भारत में प्रत्येक समुदाय अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार विवाह एवं तलाक, सम्पति, विरासत, अभिभावकता, गोद लेने से सम्बन्धित नियमों का निर्धारण करता है। व्यक्तिगत कानून के अंर्तगत आने वाले विषयों में निहित किसी एक मानदंड के आधार पर महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न समुदायों से सम्बंधित महिलाओ ं की स्थिति अलग–अलग है। यह विभिन्नता इस पर निर्भर करती है कि महिला पर किस समुदाय विशेष का व्यक्तिगत कानून लागू होता है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अन्य जाति, धर्म और समुदाय की महिलाओं से भिन्न है।

विस्तार

पुरुष और महिला मानव– समाज रुपी गाड़ी के दो पहिये है, जिनके सामंजस्य से ही किसी भी समाज की उन्नति संभव है। लेकिन समाज में जैविक विभिन्नता के आधार पर महिला पुरुष के क्रियाकलाप और स्थिति निर्धारित कर दी गई है जिसमें परिवार और घर सँभालने का उत्तरदायित्व महिला का है तथा जीविका कमाना व शासन–प्रशासन में भाग लेने का उत्तरदायित्व पुरुष का है। यहीं वह बिंदु है, जहाँ से महिला एवं पुरष के कार्यक्षेत्र निर्धारित हो जाते है और पुरूष महिला के ऊपर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर, उसकी स्थिति को निर्धारित कर देते है। वस्तुतः जेडंर उन तरीकों की ओर संकेत करता है जिनके आधार पर समाज में महिला –पुरुष के बीच विभेद किया जाता है। एनन ओकले मानती है कि ओर संस्कृति से सम्बंधित है और समाज ही लैंगिक– विभेद का निर्माण करता है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार सीखने का तरीका है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। इस प्रकार महिला पुरुष के बीच जेडंर विभेदीकरण भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। विभिन्न धार्मिक रीतियाँ, रिवाज, परम्पराएँ तथा धामिर्क मान्यताएँ भी संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है इसलिए ''सभी धर्मों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है और यह माना जाता है कि उन्हें पुरुष की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए।''

''विष्व के ज्यादातर देशो की महिलाएँ भेद भाव का शिकार होती आयी हैं, सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखी जाती रही है वंचित और अधिकार–विहिन रही हैं। इसका कारण पितृसत्ता का प्रचलन है यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है, जहां संसाधनों पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और विचार धारा पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। जेंडर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा की शिकार होती है। पूरी दुनिया में जारी यह सबसे बड़ी लड़ाई है, और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाइयां परिवार के भीतर लड़ी जाती हैं ''भारत में भी महिलाओं की स्थिति को लेकर सिद्धान्त और व्यवहार में काफी अन्तर है। भारतीय समाज में प्रचलित अधिकांष परम्पराएँ, रीति–रिवाज तथा धार्मिक अनुष्ठान व मान्यताएँ महिला पर पुरूषों का आधिपत्य स्थापित करने का साधन है। महिला हमेशा पुरुष के प्रति कृतज्ञ और आज्ञाकारी बनी रहें इसके लिए मुस्लिम पुरुषों के पास तीन तलाक के रूप में एक ऐसा साधन है जिसके प्रयोग के भय–मात्र से महिला सहज ही पुरुष की आधीनता को स्वीकार कर लेती है। धार्मिकता के नाम पर इसका पालन करने के लिए महिला को विवष किया जाता है। पुरूष अपने हितों की पूर्ति के लिए और महिला उत्पीडन को वैधता प्रदान करने के लिए धर्म को विकृत कर देते है। भारत में प्रत्येक धार्मिक के व्यक्तिगत कानून है और प्रत्येक समुदाय अपने व्यक्तिगत कानूनों से प्रशासित होता है। इन व्यक्तिगत कानून के अनुसार ही सम्पति, विरासत, अभिभावकता, गोद लेने से सम्बन्धित नियमों का

निर्धारण किया जाता है, ये कानून विवाह एवं तलाक के सम्बन्ध में भी महिला स्थिति को प्रभावित करते है। व्यक्तिगत कानून के इन मामलों में निहित किसी एक मानदंड के आधार पर महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न समुदायों से सम्बंधित महिलाओं की स्थिति अलग–अलग है। यह विभिन्नता इस पर निर्भर करती है कि महिला पर किस समुदाय विशेष का व्यक्तिगत कानून लागू होता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों में मान्य तथा प्रचलित तलाक की वैधानिक प्रक्रिया तथा परम्परागत प्रथाओं का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा सबसे अधिक महिला–विरोधी प्रथा है जो यह दर्शाती है कि मुस्लिम समाज में लैंगिक – भेद भाव, रूढियों एवम् कुप्रथाओं की उपस्थिति है।

''भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि सभी समुदायों में स्त्रियों की स्थिति में हाने वाले परिवर्तन की प्रकृति एक समान है।जहाँ तक मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति का प्रष्न है, सैद्धान्तिक रूप से उन्हें अनेक ऐसे अधिकार प्राप्त है जो स्वतन्त्रता से पहले तक हिन्दू स्त्रियों को प्राप्त नहीं थे''

जैसे– विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति, मेहर –राषि का निर्धारण, सम्पति का अधिकार। समय के साथ ''मुस्लिम–समाज में भी अनेक परिवर्तन हुए परन्तु इन परिवर्तनों ने मुस्लिम महिलाओं के परम्परागत अधिकारों को कम कर दिया है। मेहर की राषि उनकी सामाजिक सुरक्षा का एक साधन थी, उसे केवल एक प्रतीक के रूप मे निर्धारित किया जाने लगा। मुस्लिम कट्टरपंथी पुरूषों द्वारा महिला की आर्थिक स्वतन्त्रता को इस्लाम के विरूद्ध मानने की कारण आज भी मुस्लिम महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर है। सामाजिक नियमो द्वारा पुरूष को प्राप्त बहु– विवाह तथा तलाक के एकतरफा अधिकार के कारण महिलाएँ साधारणतया पुरूषों के विभेदकारी व्यवहार का विरोध नहीं कर पाती। कुछ जागरूक और प्रगतिषील मुस्लिम स्त्रियों द्वारा तलाक की दषा में पति से भरण–पोषण की राषि प्राप्त करने के अधिकार का भी विरोध होने के कारण उनके कानूनी अधिकार का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है।'' इस्लाम में महिलाओं की स्थिति मुस्लिम समाज का पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन धर्म के साथ गुंथा हुआ है। भारतीय मुस्लिम समाज मे परिवारिक– क्षेत्र अर्थात् विवाह, तलाक, विरासत, सम्पति, अभिभावकता आदि से सम्बन्धित विषयों का प्रबन्ध ''कुरान तथा शरीयत के नियमों'' के आधार पर होता है इसलिए मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर तीन तलाक–प्रथा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए यह जानना आवष्यक है कि इस्लाम में महिलाओ की स्थिति क्या है? इस्लाम सैद्धान्तिक रूप से लैंगिक–न्याय और महिला–पुरूष के बीच समानता के सिद्धान्त पर बल देता है। इस्लाम महिला को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक रूप से पुरूष के समकक्ष मानता है। मौलाना वाहिउद्दीन खान कहते है कि ''मनुष्य होने के नाते महिला व पुरूष समान है। उनके बीच अधिकारों के संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं है। इस्लाम केवल शारीरिक आधार पर महिला और पुरूष के बीच अंतर करता है ताकि दोनों के मध्य न्यायसंगत श्रम–विभाजन किया जा सकें । ''उमर हयात खान गौरी के अनुसार ''इस्लाम विवाह के बाद महिला के व्यक्तित्व को पुरूष में विलीन नहीं करता, बल्कि विवाह के बाद भी महिला के व्यक्तित्व को मान्यता देता है। इस्लाम पति और पत्नी दोनों को एक–दूसरे का जीवन साथी करार देता है।''मुस्लिम महिलाओं के कुरान–प्रदत्त अधिकारों को निम्नांकित रूप से संक्षेपित किया जा सकता है, जो समाज में उनकी स्थिति को निर्धारित करते हैः–

समाज में अपनी पहचान और व्यक्तित्व रखने का अधिकार।
अपनी पसंद के पुरुष से विवाह करने और जबरदस्ती विवाह से इंकार करने का अधिकार।
माता–पिता और अन्य रिश्तेदारों से विरासत का अधिकार।
उस संपत्ति को प्राप्त करने या बेचने का अधिकार जो उसके पास कानूनी रूप से है।
स्वयं की संपत्ति खरीदने का अधिकार।
पति से भरण–पोषण और मुआवजा मांगने का अधिकार।
विवाह के पष्चात् शादी की देखभाल करने का अधिकार।
उचित आधार पर स्वयं तलाक लेने का अधिकार।

यह विष्लेषण करना प्रासंगिक है कि इस्लाम, विषेषतया, तलाक की स्थिति में मुस्लिम महिला के हितों एवम् अधिकारों को किस प्रकार सरंक्षित करता है? तलाक की स्थिति में, इस्लामिक नियम महिला के अधिकारों को निम्न प्रकार से सरंक्षण प्रदान करते है :–

1. मुस्लिम पति को अपनी पत्नी को तलाक देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो तीन महीने अर्थात् नब्बे दिन में पूरी होती है।
2. शरियत के अनुसार, पति को गवाहो के सामने या कम से कम पत्नी की उपस्थिति में 'तलाक' शब्द का उच्चारण करना चाहिए।
3. पुरूष द्वारा तलाक की घोषणा महिला की तुहर में की जानी चाहिए।

4. तलाक की घोषणा अधिकतम तीन बार की जा सकती है। इसके बाद तलाक अपरिवर्तनीय हो जाता है और विवाह सदैव के लिए समाप्त हो जाता है।
5. तलाक की प्रत्येक घोषणा महिला की तुहर मे ं ही की जानी चाहिए अर्थात् तलाक की प्रत्येक घोषणा के बीच लगभग एक महीने का अंतराल होना चाहिए।
6. तलाक की घोषणा से पूर्व मध्यस्थों के माध्यम से पति–पत्नी के बीच सुलह–समझौते के प्रयास अवष्य किए जाने चाहिए।
7. इद्दत की अवधि के दौरान महिला को अपने पति के घर में रहने तथा उससे भरण–पोषण पाने का अधिकार है। संभावना हो सकती है कि इस दौरान दम्पति के बीच सुलह हो जाए।
8. यदि निकाह के वक्त महिला को मेहर अदा नहीं की गई है तो निकाह के बाद इसे अदा कर देना चाहिए। तलाक के पष्चात् महिला को अपना मेहर प्राप्त करने का अधिकार है।
9. निकाह के वक्त या निकाह के बाद मिलें उपहारों और धनराषि पर महिला का अधिकार होता है और तलाक के बाद भी उसे इन्हें प्राप्त करने का अधिकार होता है।
10. इस्लाम के अनुसार तलाकषुदा दम्पति एक–दूसरे से पुनःविवाह कर सकते है। महिला को अधिकार है कि वह पूर्व–पति से पुर्नविवाह के लिए इंकार कर सकती है। ''सभी धर्मों में महिलाओं पुरूषों की दासी मानते हए उन्हे दोयम स्थिति में धकेला गया है। जे. एल ऑस्टिन कहते है– निकाह में सैद्धांतिक रूप से महिला को भी पुरूष के समान दर्जा प्राप्त है, पुरूष का प्रस्ताव वह स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती हैं। लेकिन एक बैठक में तीन तलाक के द्वारा निकाह–अनुबन्ध को एकपक्षीय तरीके से तोड दिया जाता है। सबसे दुखद यह है कि तीन तलाक इस निकाह–अनुबन्ध को एक पदानुक्रमिक लाभ दे देता है जो पुरूष को मालिक की हैसियत प्रदान करता है जबकि महिला को दासी की। इस तरह महिला को उसके इस्लामिक और नागरिक अधिकारों से वंचित कर देता है तथा उसे मानव होने की स्थिति से गिराकर वस्तु–मात्र बना देता है।'' भारतीय मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा कुरान में वर्णित तलाक से सम्बंधित प्रत्येक निर्देष का उल्लंघन करती है सिवाय इसके कि एक समय में तीन बार तलाक देने से विवाह सदैव के लिए अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाता है। इस प्रथा से मुस्लिम महिला के इस्लामिक अधिकारों का उल्लंघन निम्न प्रकार से होता है :–
1. एक बैठक में तीन बार तलाक करने से विवाह तुरंत समाप्त हो जाता है, इससे अलगाव से पूर्व महिला के मध्यस्थता और सुलह – समझौता करने के इस्लामिक अधिकार का हनन होता है।
2. पुरुष द्वारा तलाक की घोषणा महिला की तुहर में की जानी चाहिए। परन्तु एक बैठक में तीन बार तलाक का उच्चारण कभी भी किया जा सकता है।
3. तत्काल तीन तलाक महिला के मासिक–धर्म में भी दिया जा सकता है जबकि पैगंम्बर मुहम्मद ने मासिक– धर्म के दौरान तलाक की घोषणा करने पर पत्नी को वापस लेने का आदेश दिया था।
4. इस्लाम के अनुसार महिला को तीन महीने दस दिन की इद्दत की अवधि तक पति के घर में रहने का अधिकार है और ''इस अवधि का पूरा ध्यान रखना आवष्यक है।'' लेकिन जब पुरूष एक समय में तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक–सम्बन्ध खत्म देता है तो पत्नी को तुरंत पति का घर छोड़ना पड़ता है। और इद्दत की अवधि कहीं दूसरी जगह रहकर पूरी करनी पड़ती है।
5. तीन तलाक देने के बाद पुरूष इद्दत–अवधि में तलाकशुदा पत्नी के भरण–पोषण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि इस्लाम के अंर्तगत मुस्लिम महिला को इद्दत के दौरान अपने पति से भरण– पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।
6. पुरूष तीन तलाक देने के बाद महिला को मेहर की रकम अदा नहीं करते और उसका स्त्रीधन भी वापस नही करते।
7. तीन तलाक गवाह यहाँ तक कि पत्नी की अनुपस्थिति में भी दिया जा सकता है।
8. इस्लामिक नियमों के अनुसार तलाक के अधिकार का प्रयोग अपरिहार्य परिस्थिति में ही किया जा सकता है
परन्तु वर्तमान समय में पुरूष क्षणिक आवेष में या छोटी–छोटी बात पर तीन तलाक बोलकर निकाह को तुरंत समाप्त कर देते है।
9. इस्लाम के निर्देषों के विपरीत, तलाकषुदा पत्नी पर पूर्व–पति से पुनर्विवाह करने के लिए निकाह–हलाला करने का दवाब डाला जाता है।
10. इस्लामिक नियम में पिता की सम्पति में महिला को भी हिस्सा मिलता है, परन्तु शायद ही यह अधिकार महिलाओं को मिलता हो। विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को ही उनका हिस्सा मान लिया जाता है। तत्काल तलाक की घोषणा करने के बाद पुरूष महिला का दहेज़ वापस नहीं करते। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से महिला के सम्पति के अधिकार का उल्लंघन होता है।

संदर्भ

1. तान्या मोहन्ती (2008) 'जेण्डर संस्कृति एवं इतिहास' तपन बिस्वाल (सम्पा) मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण दिल्ली : वीवा बुक्स प्रा0 लि0 3।
2. कमला भसीन (2016) ''भारतीय संदर्भ में नारी सषक्तीकरण'' योजना सितम्बर पृ 9।
3. तरन्नुम युसुफ (2017) 'भारतीय मुस्लिम महिलाओ का सामाजिक अध्ययन' इनोवेषन द रिसर्च कॉन्सेप्ट अंक 9।
4. तरन्नुम युसुफ (2017) 'भारतीय मुस्लिम महिलाओ का सामाजिक अध्ययन' इनोवेषन द रिसर्च कॉन्सेप्ट. अंक 9।